रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1987/अग्रहायण 11, 1909
No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1987/AGRAHAYANA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1987

आदेश

का.आ. 1034.—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अपील प्राधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए फीस का मान

(1) अपील प्राधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए संदत्त की जाने वाली फीस निम्नलिखित होगी अर्थात:—

(क) निरीक्षण के प्रथम घंटे या उसके भाग के लिए : 1 रु.

(ख) निरीक्षण के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए : 50 पैसे

(ग) उक्त निरीक्षण फीस का संदाय नकद में किया जाएगा ।

3. अपील प्राधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए फीस का मान ।

(1) प्रतियों के प्रदाय के लिए नकल फीस प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए दो रुपये होगी ।

(2) तथापि फोटो स्टेट प्रतियों के प्रदाय के लिए नकल फीस अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी प्रतियों के लिए वास्तव में उपगत व्यय होगी ।

(3) प्रतिलिपि को सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित करने के लिए दो रुपए फीस उदगृहीत की जाएगी ।

(4) नकल फीस नकद में अग्रिम में वसूल की जाएगी ।

(5) जहां कोई पक्षकार आशुलिपिक द्वारा लिखे गए साक्ष्य की प्रतिलिपि तुरन्त देने के लिए आवेदन करता है वहां प्रभार्य फीस उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का 2-1/2 गुणा होगी; ऐसे मामले में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का पचास प्रतिशत भाग आशुलिपिक को दिया जाएगा ।

(6) जब प्रति डाक द्वारा भेजी जाए तब आवेदन पर वास्तविक डाक व्यय भी प्रभारित किया जाएगा जो नकद में अग्रिम में वसूल किया जाएगा ।

4. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी विधि या अपील प्राधिकरण के किसी आदेश के अधीन किसी रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण करने या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं बनाती है जो ऐसा करने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है ।

[सं. 7639 फा.सं. 299/22/86-आ.क. (जांच-III)]

देवप्रिय पन्त, उप सचिव